Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 75: General provisions relating to determination of tax

- (1) Where the service of notice or issuance of order is stayed by an order of a court or Appellate Tribunal, the period of such stay shall be excluded in computing the period specified in sub-sections (2) and (10) of section 73 or sub-sections (2) and (10) of section 74, as the case may be.
- (2) Where any Appellate Authority or Appellate Tribunal or court concludes that the notice issued under sub-section (1) of section 74 is not sustainable for the reason that the charges of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax has not been established against the person to whom the notice was issued, the proper officer shall determine the tax payable by such person, deeming as if the notice were issued under sub-section (1) of section 73.
- (3) Where any order is required to be issued in pursuance of the direction of the Appellate Authority or Appellate Tribunal or a court, such order shall be issued within two years from the date of communication of the said direction.
- (4) An opportunity of hearing shall be granted where a request is received in writing from the person chargeable with tax or penalty, or where any adverse decision is contemplated against such person.
- (5) The proper officer shall, if sufficient cause is shown by the person chargeable with tax, grant time to the said person and adjourn the hearing for reasons to be recorded in writing:
 - **Provided** that no such adjournment shall be granted for more than three times to a person during the proceedings.
- (6) The proper officer, in his order, shall set out the relevant facts and the basis of his decision.
- (7) The amount of tax, interest and penalty demanded in the order shall not be in excess of the amount specified in the notice and no demand shall be confirmed on the grounds other than the grounds specified in the notice.
- (8) Where the Appellate Authority or Appellate Tribunal or court modifies the amount of tax determined by the proper officer, the amount of interest and penalty shall stand modified accordingly, taking into account the amount of tax so modified.
- (9) The interest on the tax short paid or not paid shall be payable whether or not specified in the order determining the tax liability.
- (10) The adjudication proceedings shall be deemed to be concluded, if the order is not issued within three years as provided for in sub-section (10) of section 73 or within five years as provided for in sub-section (10) of section 74.
- (11) An issue on which the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the High Court has given its decision which is prejudicial to the interest of revenue in some other proceedings and an appeal to the Appellate Tribunal or the High Court or the Supreme Court against such decision of the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the High Court is

Central Goods & Services Tax Act, 2017

pending, the period spent between the date of the decision of the Appellate Authority and that of the Appellate Tribunal or the date of decision of the Appellate Tribunal and that of the High Court or the date of the decision of the High Court and that of the Supreme Court shall be excluded in computing the period referred to in sub-section (10) of section 73 or subsection (10) of section 74 where proceedings are initiated by way of issue of a show cause notice under the said sections.

- (12) Notwithstanding anything contained in section 73 or section 74, where any amount of self-assessed tax in accordance with a return furnished under section 39 remains unpaid, either wholly or partly, or any amount of interest payable on such tax remains unpaid, the same shall be recovered under the provisions of section 79.
 - ¹[Explanation- For the purposes of this sub-section, the expression "self-assessed tax" shall include the tax payable in respect of details of outward supplies furnished under section 37, but not included in the return furnished under section 39.]
- (13) Where any penalty is imposed under section 73 or section 74, no penalty for the same act or omission shall be imposed on the same person under any other provision of this Act.

Explanation inserted by the Finance Act, 2021 (No. 13 of 2021). It is made effective from 01-01-2022 by Noti. No. 39/2021–Central Tax, dt. 21-12-2021.

धारा 75 : कर अवधारण के संबंध में साधारण उपबंध

- (1) जहां किसी सूचना की तामील या आदेश के जारी करने पर किसी न्यायालय या अपील अधिकरण के आदेश द्वारा रोक लगा दी जाती है तो ऐसी रोक की अवधि को, यथास्थिति, धारा 73 की उपधारा (2) और उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट अवधि की संगणना करने से अपवर्जित किया जाएगा।
- (2) जहां किसी अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन जारी सूचना इस कारण से पोषणीय नहीं है कि कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन करना या तथ्यों को छिपाना उस व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं हुआ है जिसको सूचना जारी की गई थी, वहां समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय कर का यह मानते हुए अवधारण करेगा कि सूचना धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई थी।
- (3) जहां अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या न्यायालय के निदेश के अनुसरण में किसी आदेश को जारी करने की अपेक्षा है तो ऐसा आदेश उक्त निदेश की संसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर जारी किया जाएगा।
- (4) सुने जाने के अवसर को वहां अनुदत्त किया जाएगा जहां कर या शास्ति से प्रभार्य व्यक्ति का लिखित अनुरोध प्राप्त होता है या जहां ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकूल विनिश्चय अनुध्यात है।
- (5) समुचित अधिकारी, यदि कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा पर्याप्त कारण उपदर्शित किया जाता है तो उक्त व्यक्ति को समय अनुदत्त करेगा और कारणों को लेखबद्ध करते हुए सुनवाई को स्थगित कर देगा:
 - **परन्तु** ऐसा कोई स्थगन कार्यवाहियों के दौरान किसी व्यक्ति को तीन बार से अधिक अनुदत्त नहीं किया जाएगा।
- (6) समुचित अधिकारी अपने आदेश में अपने विनिश्चय के लिए सुसंगत तथ्यों और आधारों को अधिकथित करेगा।
- (7) आदेश में मांग किए गए कर, ब्याज और शास्ति की रकम सूचना में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं होगी और सूचना में विनिर्दिष्ट आधारों से भिन्न किसी अन्य आधार पर किसी मांग की पृष्टि नहीं की जाएगी।
- (8) जहां अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या न्यायालय समुचित अधिकारी द्वारा अवधारित कर की रकम को उपांतरित करता है, वहां ब्याज और शास्ति की रकम भी इस प्रकार उपांतरित कर की रकम को गणना में लेते हुए तदनुसार उपांतरित हो जाएगी।
- (9) कम संदत्त किए गए या संदत्त नहीं किए गए कर पर ब्याज संदेय होगा, चाहे कर दायित्व का अवधारण करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो या नहीं।
- (10) न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों को तब पूरा हुआ समझा जाएगा, यदि धारा 73 की उपधारा (10) में यथा उपबंधित तीन वर्ष के भीतर या धारा 74 की उपधारा (10) में यथा उपबंधित पांच वर्ष के भीतर आदेश जारी नहीं किया जाता है।
- (11) कोई विवाद्यक, जिस पर अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा अपना विनिश्चय दिया गया है, जो किन्हीं अन्य कार्यवाहियों में राजस्व के हित के प्रतिकूल है और अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय के ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील लंबित है तो अपील प्राधिकरण और अपील अधिकरण के विनिश्चय की तारीख के बीच की अविध या अपील अधिकरण और उच्च न्यायालय के विनिश्चय की तारीख या उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को

- उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (10) में निर्दिष्ट अवधि की संगणना करने में वहां अपवर्जित किया जाएगा जहां कार्यवाहियां उक्त धाराओं के अधीन कारण बताओ सूचना जारी करने के माध्यम से संस्थित की गई है।
- (12) धारा 73 या धारा 74 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी के अनुसार स्वनिर्धारित कर की कोई रकम पूर्णतः या भागतः असंदत्त रहती है या ऐसे कर पर संदेय ब्याज की कोई रकम असंदत्त रहती है तो उसकी वसूली धारा 79 के उपबंधों के अधीन की जाएगी।
 - ¹[स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ''स्वनिर्धारित कर'' पद में धारा 37 के अधीन प्रस्तुत किए गए ऐसी बहिर्गामी पूर्तियों के ब्यौरे के संबंध में संदेय कर, सम्मिलित होगा किन्तु धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में सम्मिलित नहीं किया गया है।]
- (13) जहां धारा 73 या धारा 74 के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित की जाती है, वहां उसी कारण या लोप पर किसी शास्ति को उसी व्यक्ति पर इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

¹ वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का क्रमांक 13) द्वारा स्पष्टीकरण अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 39/2021—केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया।